



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1854/ Type Approval No. 1854

मद/FOR ITEM: रबड़ 'ओ' रिंग्स – पार्ट सं. एचटीई 1880/एच
Rubber 'O' Rings – Part No. HTE 1880/ H

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ऑवरहॉल प्रभाग, एच ए एल (बीसी), बेंगलूरु – 560 017 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स फाउंड्री व फोर्ज प्रभाग, एच ए एल (बीसी), पी.बी सं. 1786, विमानपुरा पी.ओ, बेंगलूरु – 560 017 द्वारा उत्पादित, डीटीडी 560 ग्रूप डी क्यूटीवाई- 'पी' नाईट्राइल बेस रबड़ कम्पाउंड (एचएएलटीआरआईएलई-04) (टीए सं.765) से बनाया हुआ " 'ओ' रिंग", पार्ट सं. एचटीई 1880/एच को असेंबली आरेखन सं. एचटीई 1880/एच, रिविजन सं. शून्य/सीएच.लेट सं. 'ए', दिनांक 08 अगस्त 2012, के अनुसार जेगुआर वायुयान के बॉल वाल्व्स में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (वायुयान) के समन्वय से नियंत्रक टेस्ट शेड्यूल सं. टीएस/ओ/डीएलई/जेएजी/231, इश्यू:शून्य, दिनांक 26 जून 2012, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the " 'O' Ring " bearing the Pt. No.: HTE 1880/H made out of Nitrile base rubber compound (HALTRILE-04) of DTD 560 Gr.D Qty-'P', (TA No. 765), Designed and Developed by M/s Overhaul Division, HAL(BC), Bengaluru – 560 017 and manufactured by M/s Foundry & Forge Division, HAL(BC), P.B No.1786, Vimanapura Post, Bengaluru – 560 017, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No.: HTE 1880/H, Rev. No. Nil /Ch. Let No. A, Dt.: 08th Aug 2012, for use in Ball valves of Jaguar Aircraft. It has been tested as per Governing Test Schedule No.: TS/O/DLE/JAG/231, Issue: Nil, Dt.: 26th June 2012, in co-ordination with RCMA (Aircraft). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2019 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजों के साथ आर सी एम ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकॉर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1854

दिनांक/Date : 12 Jan 2015

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Phoral

पी जयपाल / P.JAYAPAL

मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

OS/15